पूर्व मध्य रेल
संरक्षा बुलेटिन नं0 03/25

कार्यालय
महाप्रबंधक/संरक्षा
हाजीपुर

पत्र सं0 ईसीआर/संरक्षा बुलेटिन/03/25

दिनांकः 24.02.2025

विषयः दिनांक 29.01.2025 को दानापुर मंडल के राजेन्द्रनगर स्टेशन के यार्ड में गाड़ी सं. 12374 के खाली रेक के एक कोच का शंटिंग के दौरान अवपथन के संबंध में ।

1. संक्षिप्त विवरण :-

दिनांक 29.01.2025 को दानापुर मंडल के राजेन्द्रनगर स्टेशन पर तकरीबन 12.24 बजे गाड़ी संख्या 12374 के खाली रेक को गुड्स पायलट सं. 13612/डब्ल्यूडीजी- 3ए द्वारा पिट सं. 04 से पिट सं. 02 पर शार्टहुड से शंटिंग किया जा रहा था । गुड्स पायलट स्पेयर लाइन से 17 स्पेयर कोच को लाने के लिए सिक लाईन से गया ताकि शंटिंग नेक होते हुए पिट संख्या 04 पर शंटिंग किया जा सके । शंटिंग के दौरान दिल्ली छोर में उक्त रेक का दूसरा कोच तकरीबन 12.24 बजे हैंड प्वाइंट सं. 01 पर अवपथित हो गया।

2. प्रकियागत विफलता:-

दिनांक 29.01.2025 को हुई उपरोक्त घटना के संबंध में हुई जॉच से यह पता चला कि हैंड प्वाइंट स. 01 के पास मौजूद शंटमैन द्वारा हैंड प्वाइंट सं. 01 का सही सेटिंग नहीं किया गया । शंटिंग के दौरान बैकवार्ड संचालन की अनुमति देने से पूर्व हैंड प्वाइंट पर मौजूद शंटमैन ने हैंड प्वाइंट सं. 01 की सही सेटिंग सुनिश्चित किए बिना लोड को पीछे करने का संकेत दे दिया गया जिसके परिणामस्वरूप लोड के लिए 02 रूट बन गया और परिणामतः 01 खाली कोच का उपरोक्त हैंड प्वाइंट पर अवपथन हो गया।

3. जांच के दौरान स्थापित तथ्य :-

उक्त दुर्घटना की जॉच में यह पाया गया कि उपरोक्त हैंड प्वाइंट सं. 01 एवं इसके कार्य प्रणाली के बारे में स्टेशन संचालन नियम में उल्लेख नहीं है एवं हैंड प्वाइंट के लॉकिंग के इंडीकेशन की उपलब्धता पैनल पर नहीं है ।

शंटिंग के दौरान उपरोक्त अवपथन प्वाइंट पर कार्यरत शंटमैन एवं लोको पायलट (शंटर) द्वारा शंटिंग के दौरान बरती जानेवाली सावधानियों के अनुपालन नहीं करने एवं हैंड प्वाइंट की सही सेटिंग सुनिश्चित किए बिना शंटिग करने के परिणामस्वरूप घटित हुई ।

4. नियमों का अनुपालन एवं बरती जानेवाली सावधानियॉ :-

भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृति न हो इसके लिए सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक के निम्नलिखित नियमों का सर्वसंबंधित यथा शंटमैन, लोको पायलट (शंटर) तथा शंटिंग कार्य में शामिल अन्य कर्मचारियों द्वारा कड़ाई के साथ अनुपालन के लिए पुनः उद्यृत किया जा रहा है:-

(i) शंटिंग कार्य में शामिल सभी वर्ग के कर्मचारियों द्वारा सामान्य नियम 5.13(1) के अनुसार शंटिंग कार्य किया जाएगा । इस नियम के अनुसार शंटिंग कार्य का नियंत्रण हैण्ड सिगनल या मौखिक निर्देशों के द्वारा किया जाएगा ।

(ii) सहायक नियम 5.14 के उप पारा 12 के अन्तर्गत वर्णित है कि - जब शंटिंग संचालन स्थावर सिगनलों द्वारा नियंत्रित नहीं किये जाते है तो कांटो की सही सेटिंग एवं तालाबंदी तथा शंटिंग करने की अनुमति की सूचना केबिन/ग्राउंडफ्रेम गुमटी द्वारा शंटिंग का पर्यवेक्षण कर रहे गार्ड या शंटिंग जमादार को हरा सिगनल दिखाकर देगा । विषयगत अवपथन केस में इस नियम का पालन नहीं किया गया था ।

(iii) सामान्य एवं सहायक नियम 4.21 (इंजन चलाने की जिम्मेदारी) के अनुसार डीजल लोको में शंटिंग की दिशा वाले ड्राईविंग कंट्रोल स्टैण्ड से ही शंटिंग कार्य किया जाएगा ।

(iv) सामान्य नियम 5.13 (2) के अनुसार लोको पायलट सिगनलों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहकर सदैव चौकस और सतर्क रहेगें ।

(v) सहायक नियम सं0 5.14 (1) में वर्णित है कि यात्री वहन करने वाली गाड़ी के शंटिंग के पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व शंटिंग जमादार या गार्ड/स्टेशन मास्टर/यार्ड मास्टर द्वारा किया जाएगा ।

(vi) सहायक नियम 5.14 (1) के अनुसार शंटिंग के दौरान कोई कर्मचारी बफर, हैण्ड ब्रेक गियर या वाहनों के स्क्रू कपलिंग या इंजन के कॉउकैचर पर नहीं चढ़ेगा ।

(vii) इसके अतिरिक्त सहायक नियम 8.15 में वर्णित प्रावधानों का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए ।

उक्त का सर्व सम्बन्धित द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए । मंडलों के सम्बन्धित अधिकारीगण तथा पर्यवेक्षक नियमित तथा औचक निरीक्षण के समय इसका अनुपालन अवश्य देखें ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृति न हो ।

सुनील कुमार 24.02.25

(सुनील कुमार)

उप मुख्य संरक्षा अधिकारी/यातायात

प्रतिलिपिः–

1. महाप्रबंधक के सचिव– महाप्रबंधक महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अपर महाप्रबंधक, प्र0 मु0 परि0 प्र0, प्र0 मु0 इंजी0, प्र0 मु0 वि0 इंजी0, प्र0 मु0 सि0 एवं दू0 इंजी0, प्र0 मु0 यां0 इंजी0 – को सादर सूचनार्थ।
3. मु0 यां0 यो0 प्र0, मु0 या0 या0 प्र0, मुख्य ट्रैक इंजी0, मु0 सि0 इंजी0, मु0वि0वि0इंजी0, मु0 वि0 लो0 इंजी0।
4. मंडल रेल प्रबंधक/धनबाद, दीन दयाल उपाध्याय नगर, दानापुर, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
5. वमसंअ0 वमपरिप्र0 वमंविई0 (टीआरडी), वमंविई0 (परि0), वमंसिदूई0, वमअभि0 (सम0) धनबाद, दीन दयाल उपाध्याय नगर, दानापुर, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
6. सभी सर्वसंबंधित पर्यवेक्षक एवं रेल कर्मचारी।